उत्तर प्रदेश शासन,

सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1,

संख्या-03/2019/473/44-1-2019-31/97

लखनऊः दिनांकः 27 मई, 2019

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ के अन्तर्गत शोध अधिकारी वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 0 56100-177500) के 01 पद पर उ0प्र0 लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयनोन्नति (प्रक्रिया) नियमावली, 1970 (यथासंशोधित) के नियम-11 में प्राविधानानुसार पदोन्नति हेतु गठित चयन समिति की दिनांक 13-03-2019 को लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 प्रयागराज में सम्पन्न बैठक में की गयी संस्तुति के आधार पर श्री राज्यपाल, श्री फारूख अली, शोध सहायक को सार्वजनकि उद्यम ब्यूरो निदेशालय उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ में शोध अधिकारी के पद का कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन पदोन्नति किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) उ0प्र0 सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो (समूह-क और समूह-ख के आर्थिक और प्राविधिक पद) सेवा नियमावली 1993 एवं प्रथम संशोधन नियमावली 2018 के नियम-19 (1) के प्राविधानों के अनुसार दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रखा जायेगा।

(2) उपर्युक्त नियुक्ति इस निमित्त बनाये गये नियमों एवं नियुक्त प्राधिकारी द्वारा लिये गये सुसंगत निर्णयों के अधीन होगी।

(3) उपर्युक्त शोध अधिकारी की सेवायें परिवीक्षा अवधि में पूर्णतः अस्थायी होंगी और उनका कार्य एवं आचरण संतोषजनक न पाये जाने की दशा में उन्हें उनके मूल पद पर किसी भी समय प्रत्यावर्तित किया जा सकता है।

(4) उक्त पद धारक को अनुमन्य वेतन के साथ समय-समय पर प्रदत्त अन्य समकक्ष राज्य कर्मचारियों को अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते भी देय होंगे। समकक्ष राज्य कर्मचारियों को उपलब्ध अन्य सुविधाए तथा दायित्व उक्त पद धारक पर भी लागू होंगे।

(डा0 पी0वी0 जगनमोहन)

अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-03/2019/473(1)/44-1-2019 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार प्रथम उ0प्र0 प्रयागराज।

(2) कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ।

(3) महानिदेशक सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो जवाहर भवन लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया श्री फारूख अली को कार्यभार ग्रहण कराकर कार्यभार प्रमाण-पत्र शासन को शीघ्र प्रस्तुत करने का कष्ट करें ताकि नियुक्ति सम्बन्धी अधिसूचना का प्रकाशन किया जा सके।

(4) उपसचिव लोक सेवा आयोग उ0प्र0 प्रयागराज को उनके पत्र सं0-333(vii)/8/पी0/एस-9/2017-18 दिनांक 23-03-2019 के संदर्भ में सूचनार्थ।

(5) सम्बन्धित अधिकारी।

(6) विभागीय पुस्तिका।

(7) गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(कृष्ण कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।